क.रा.बी.नि.
ESIC
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

मुख्यालय Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002
वेबसाइट:www.esic.nic.in / www.esic.in
ईमेल: rajbhasha-hq@esic.nic.in

संख्या : ए-49/13/01/2021-रा.भा./सम्मेलन (ई-185050) दिनांक : 25.6.2024

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/ क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/ निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा।

विषय: क.रा.बी.निगम कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना)।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के पत्र संख्या ए-49/16/1/2009-रा.भा./28-30/एन. दिनांक 25.02.2010 के क्रम में महानिदेशक महोदय ने फा.सं. ए-49/13/01/2021-रा.भा./सम्मेलन (ई-185050) के नोट संख्या 170 पर दिनांक 28.02.2024 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष के दौरान निर्धारित प्रतिशतता में हिंदी में कार्य करने के उपलक्ष्य में दी जाने वाली 600/- रुपये की पुरस्कार राशि को दिनांक 01.01.2024 से बढ़ाकर 1200/- रुपये करने के आदेश दिए हैं।

इस पुरस्कार योजना के अन्य मार्गदर्शी सिद्धांत व वर्णित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त वर्धित पुरस्कार राशि वर्ष 2024 तथा आगामी वर्षों में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्मिकों पर लागू होगी।

निवेदन है कि इस योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि अधिकाधिक कार्मिक इस योजना में भाग लें।

यह फाइल के नोट संख्या 237 पर वित्त आयुक्त की टिप्पणी दिनांक 14.6.2024 द्वारा वित्त शाखा की सहमति के उपरांत जारी है।

भवदीय,

Signed by Shyam Kumar
Date: 25-06-2024 12:50:15

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

1. क.रा.बी.निगम की सभी इकाइयों के उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त) को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वित्त एवं लेखा शाखा, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम को सूचनार्थ ।
3. मुख्यालय के सभी अधिकारियों एवं शाखाओं को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम को इस अनुरोध के साथ कि इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. गार्ड फाइल ।

25.6.2024

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)